

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक-18-03-2010 में
उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग एन०एच०-५०९ बांयी पटरी (पुराना एन०एच०-९३) चैनेज 192.320 से 197.450 कि०मी० (५१३०मी०) तक बदायूँ-चन्दौसी मार्ग बांयी पटरी (एस०एच०-४३) चैनेज ४२.००० से ४४.१७० कि०मी० (२१७०मी०) तक 4" प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु ०.४३८ हेठो संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु कार्य प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य का अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात गैस पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक १८-०३-२०१८ द्वारा बिन्दुवार दिशा निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।



(प्रभाष कुमार)

प्रबंधक

टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
मुरादाबाद।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्मल वन प्रभाग
सम्मल।